राजभाषा विभाग

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी,
अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

आई आई आई टी डी एम जे/रा.भा./07/88
दिनांक 15 जुलाई 2025

अधिसूचना/**Notification**

विषय: दिनांक 27.05.2025 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जबलपुर की बैठक मे लिये निर्णय के संबंध में।

Subject: Regarding the Decisions Taken in the Meeting of Nagar Rajbhasha Implementation Committee, Jabalpur on 27.05.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 27.05.2025 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जबलपुर की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें राजभाषा नियम 1976 की धारा 3(3) तथा मूल पत्राचार पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों एवं प्राप्त कार्यवृत्त (Minutes) के आधार पर सभी संस्थान कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि:-

***धारा 3(3)** के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से **द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में)** तैयार किए जाएँ — सामान्य आदेश (General Orders), संकल्प (Resolution), परिपत्र (Circulars), नियम (Rules), प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन (Administrative or other reports), प्रेस विज्ञप्तियां (Press Releases / Communiques), संविदाएं (Contracts), करार (Agreements), अनुज्ञप्तियां (Licences), निविदा प्रारूप (Tender Forms), अनुज्ञा पत्र (Permits), निविदा सूचनाएं (Tender Notices), अधिसूचनाएं (Notifications) तथा संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र (Reports and documents to be laid before the Parliament)।*

इसके अतिरिक्त मूल पत्राचार हिंदी में करें और आवश्यकता होने पर अंग्रेज़ी अनुवाद संलग्न करें।

In reference to the above subject, a meeting of the Town Official Language Implementation Committee, Jabalpur was held on 27.05.2025, wherein special discussions were conducted on Section 3(3) of the Official Language Rules, 1976 and original correspondence practices.

Based on the decisions taken in the meeting and the minutes received, all institute employees are hereby informed that:

Under Section 3(3) of the Official Language Rules, 1976, it is mandatory for all Central Government offices to issue the following types of documents bilingually (in both Hindi and English): General Orders, Resolutions, Circulars, Rules, Administrative or other Reports, Press Releases / Communiqués, Contracts, Agreements, Licences, Tender Forms, Permits, Tender Notices, Notifications, and Reports and Documents to be Laid before the Parliament.

In addition, all original correspondence should be carried out in Hindi, with an English translation attached, if required.

15-07-2025

संतोष महोबिया/Santosh Mahobia
उप कुलसचिव, राजभाषा विभाग/Deputy Reg., Rajbhasha Adhikari

प्रतिलिपि: –

1. निदेशक महोदय हेतु सूचनार्थ प्रेषित
2. कुलसचिव
3. सभी संकाय सदस्य/अधिकारी/कर्मचारी
4. संगणक केन्द्र (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)

डुमना विमानतल मार्ग,
जबलपुर – 482005, म.प्र. भारत
दूरभाष : +91-761-2794065, फैक्स : +91-761-2794094
वेबसाईट : www.iiitdmj.ac.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Dumna Airport Road,
Jabalpur - 482005, M.P. India
Phone : + 91-761-2794065, Fax : + 91-761-2794094
Website: www.iiitdmj.ac.in